भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †3668

सोमवार, 11 अगस्त, 2025/20 श्रावण, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय

†3668. एडवोकेट चन्द्र शेखर:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों को लक्षित पर्यटन पहलों के लिए 2025-26 के केन्द्रीय बजट में आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है और ये आवंटन किस प्रकार पर्याप्त हैं;

(ख) सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग बहुल क्षेत्रों में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन निधियों का प्रभावी रूप में उपयोग किए जाने को किस प्रकार सुनिश्चित करती है और गलत आवंटन अथवा कम उपयोग को रोकने के लिए क्या तंत्र स्थापित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त समुदायों पर 'देखो अपना देश' और 'स्वदेश दर्शन' जैसी योजनाओं के प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए उनके गहन, स्वतंत्र प्रभाव का आकलन किया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इन योजनाओं से उक्त समुदायों की आर्थिक स्थिति, आय के स्तर और आजीविका में किस प्रकार सुधार हुआ है और कमियों को दूर करने के लिए क्या सुधारात्मक कार्रवाई किए जाने की योजना है;

(ङ) पर्यटन क्षेत्र विशेषकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की भागीदारी के संबंध में वर्तमान, सत्यापन योग्य आंकड़े क्या हैं और ये किस प्रकार समान प्रतिनिधित्व दर्शाते हैं;

(च) सरकार द्वारा ढांचागत बाधाओं को समाप्त करने और पर्यटन संबंधी उद्यमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछडा वर्ग के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए क्या विशिष्ट, सक्रिय कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(छ) सरकार द्वारा विशेषकर अल्पविकसित ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन संबंधी आजीविका के लिए उक्त समुदायों को प्राथमिकता देने हेतु कौन-कौन से लक्षित हस्तक्षेप शुरू किए गए हैं और इन्हें प्रणालीगत बाधाओं को दूर करने के लिए किस प्रकार तैयार किया गया है;

(ज) इन कार्यक्रमों से वास्तव में लाभान्वित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछडा वर्ग के उद्यमियों की संख्या कितनी है और समुदाय-वार संवितरित की गई वित्तीय सहायता की ठीक-ठीक राशि कितनी है;

(झ) स्वदेश दर्शन और प्रसाद जैसी सरकार द्वारा वित्तपोषित पर्यटन परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन और लाभों में उक्त समुदायों को सक्रिय रूप से शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही ठोस, प्रवर्तनीय नीतियों का ब्यौरा क्या है; और

(ञ) इन योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है और उनके शामिल किए जाने के दावों को सत्यापित करने के लिए सार्वजनिक रूप से सुलभ किये जाने हेतु क्या प्रावधान किए गए हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ञ): केंद्रीय बजट 2025-26 में, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) घटक के लिए उक्त योजना के कुल परिव्यय का 4.3% अर्थात 103 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं, जिसमें जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के तहत 88 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (पीएम-जेयूजीए) के तहत 15 करोड़ रुपये शामिल हैं। यह विशिष्ट व्यय शीर्ष मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति-बहुल क्षेत्रों में निवेश सुनिश्चित करता है, जिससे सांस्कृतिक संरक्षण, आर्थिक उत्थान और समावेशी पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलता है। जनजातीय परिपथ थीम के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का उद्देश्य विशेष रूप से जनजातीय विरासत के प्रति जागरूकता बढ़ाना और जनजातीय समुदायों को पर्यटन सेवा श्रृंखला में एकीकृत करना है, ताकि सतत और क्षेत्रीय रूप से संतुलित विकास में योगदान मिल सके। यद्यपि, पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों (एससी) या अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) के लिए अनन्य रूप से कोई अलग बजटीय प्रावधान नहीं किया गया है।

पर्यटन मंत्रालय अपनी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं यथा स्वदेश दर्शन (एसडी 2.0 और चुनौती आधारित गंतव्य विकास सहित) और प्रशाद के माध्यम से पर्यटन अवसंरचना और सुविधाओं के विकास को बढ़ावा देता है। ये योजनाएँ राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) की प्रस्तुति, निधियों की उपलब्धता और योजना दिशानिर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन कार्यान्वित की जाती हैं। मंत्रालय पर्यटन से जुड़ी आजीविका को मजबूत करने वाले परियोजना प्रस्तावों को प्रोत्साहित करके जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देता है।

पर्यटन मंत्रालय ने पीएम-जेयूजीए के तहत 'जनजातीय क्षेत्रों में होमस्टे का विकास' जैसे लक्षित परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ाना है। दिशानिर्देशों में होमस्टे मालिकों के तकनीकी प्रशिक्षण और कौशल विकास के प्रावधान भी शामिल हैं।

पीएम-जेयूजीए के तहत, मंत्रालय जनजातीय क्षेत्रों में 1,000 होमस्टे के विकास में सहायता प्रदान करेगा। इसमें ग्राम समुदाय की आवश्यकताओं के लिए 5 लाख रु., प्रति परिवार दो नए

कमरे बनाने के लिए 5 लाख रु. और मौजूदा कमरों के नवीनीकरण के लिए 3 लाख रु. तक की सहायता शामिल है। ये पहल स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देकर प्रणालीगत चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।

अभी तक पीएम-जेयूजीए होमस्टे पहल के तहत कोई निधि जारी नहीं की गई है।

अतुल्य भारत पर्यटक सुविधा प्रदाता (आईआईटीएफ) प्रमाणन कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को शुल्क में छूट दी जाती है। यह मंत्रालय द्वारा संचालित एक डिजिटल पहल है जिसका उद्देश्य देश भर में सुप्रशिक्षित और पेशेवर पर्यटक सुविधा प्रदाताओं और पर्यटक गाइडों का एक समूह तैयार करना है। यह प्रणाली उम्मीदवारों के लिए बुनियादी, उन्नत (विरासत और साहसिक), मौखिक भाषा और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्रदान करती है।

स्वदेश दर्शन या देखो अपना देश के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग की भागीदारी पर केंद्रित कोई विशिष्ट स्वतंत्र प्रभाव मूल्यांकन नहीं किया गया है। यद्यपि, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा वर्ष 2019 में स्वदेश दर्शन योजना का एक तृतीय-पक्ष प्रभाव मूल्यांकन किया गया था। इसमें पाया गया कि इस योजना ने स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका और रोजगार के अवसरों के सृजन में योगदान दिया।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा वर्ष 2019 में किए गए उक्त मूल्यांकन में स्वदेश दर्शन योजना द्वारा संचालन और रखरखाव के चरणों में मज़बूत रोज़गार प्रदान करने की क्षमता को स्वीकार किया गया था।

यद्यपि, मंत्रालय पर्यटन योजनाओं के तहत समुदाय-विशिष्ट निधि निर्धारित नहीं करता है, तथापि यह अवसंरचना में वृद्धि और सेवा वितरण के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देता है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों को लाभ मिलता है।

वर्तमान में, इन योजनाओं के तहत लाभार्थियों के आंकड़ों के समुदाय-वार सार्वजनिक सत्यापन के लिए कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं है। यद्यपि, मंत्रालय के दिशानिर्देश पारदर्शिता पर ज़ोर देते हैं और कार्यान्वयन करने वाली राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्वदेश दर्शन और प्रशाद जैसी पर्यटन परियोजनाओं में समावेशी कार्ययोजना सुनिश्चित करें।

*****